

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 17, बुधवार, शाके 1947- जनवरी 07, 2026 Pausa 17, Wednesday, Saka 1947- January 07, 2026	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
जयपुर, दिसम्बर 31, 2025

संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/918:-यह कि राज्य के राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प9(18)राज-1/2022-(2) दिनांक 05.08.2023 के द्वारा बाडमेर जिले का पुनर्गठन किया जाकर नवीन जिले बालोतरा का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय बालोतरा रखा गया है।

इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प9(8)राज-1/2025-जिला पुनर्गठन दिनांक 31.12.2025 को जारी की गई है जिसके क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/759 दिनांक 19.11.2025 को अतिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद, बालोतरा का गठन किया जाता है।

नवगठित जिला परिषद, बालोतरा का क्षेत्राधिकार, राजस्व विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र में से नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोड़कर, समस्त क्षेत्र रहेगा तथा जिला परिषद बाडमेर के वर्तमान क्षेत्राधिकार से वह क्षेत्र पृथक रहेगा जो क्षेत्र नवगठित जिला परिषद, बालोतरा के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है।

जिला परिषद बाडमेर वर्तमान स्वरूप में उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जब नवीन जिला परिषद बालोतरा एवं पुनर्गठित जिला परिषद बाडमेर का कार्यकाल प्रारम्भ होगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
डॉ० जोगाराम,
शासन सचिव।

2330

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।